

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1073
सोमवार, 02 दिसम्बर, 2024 / 11 अग्रहायण, 1946 (शक)

प्रवासी दिहाड़ी मजदूर

1073. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास दिहाड़ी मजदूरों की राज्य-वार संख्या का पता लगाने के लिए कोई तंत्र है; और
- (ख) यदि हां, तो दिल्ली में उक्त मजदूरों की संख्या कितनी है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की। इसे ई-श्रम पोर्टल पर प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों के पंजीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराया गया है। इसमें असंगठित कामगार स्व-घोषणा के आधार पर भी पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करा सकता है। ई-श्रम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य आधार से जुड़े प्रवासी कामगारों एवं दिहाड़ी मजदूरों सहित असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस सृजित करना तथा ऐसे कामगारों का मौजूदा सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पंजीकरण को सुविधाजनक बनाना है। दिनांक 26.11.2024 तक की स्थिति के अनुसार इस पोर्टल पर 30.41 करोड़ कामगारों ने पंजीकरण कराया है। इसका राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

*

अनुबंध

“प्रवासी दिहाड़ी मजदूर” के संबंध में श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी द्वारा दिनांक 02.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1073 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र. सं.	राज्य	कुल पंजीकरण
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	32293
2	आंध्र प्रदेश	8125924
3	अरुणाचल प्रदेश	196193
4	असम	7565925
5	बिहार	29552012
6	चंडीगढ़	184877
7	छत्तीसगढ़	8519047
8	दिल्ली	3441699
9	गोवा	74992
10	गुजरात	11866463
11	हरियाणा	5348065
12	हिमाचल प्रदेश	1980851
13	जम्मू और कश्मीर	3526627
14	झारखंड	9591275
15	कर्नाटक	10261173
16	केरल	6002286
17	लद्दाख	33277
18	लक्षद्वीप	2747
19	मध्य प्रदेश	18387723
20	महाराष्ट्र	17255023
21	मणिपुर	451285
22	मेघालय	325422
23	मिजोरम	64899
24	नागालैंड	231307
25	ओडिशा	13518091
26	पुडुचेरी	189031
27	पंजाब	5761356
28	राजस्थान	14216619
29	सिक्किम	42018
30	तमिलनाडु	8873813
31	तेलंगाना	4441600
32	दादरा व नगर हवेली एवं दमन व दीव	74277
33	त्रिपुरा	883661
34	उत्तर प्रदेश	83729241
35	उत्तराखंड	3051600
36	पश्चिम बंगाल	26396249
	कुल	304198941
